

संख्या-5861/III(2)/18-05(एम0एल0ए0)/2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 04 दिसम्बर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अन्तर्गत विभिन्न 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र0का0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 03 कार्यों के आगणनों, जिनकी लम्बाई 47.00 किमी0+ 05 सेतु तथा कुल लागत रु0 723.08 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 723.08 लाख (रु0 सात करोड़ तेईस लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य रु0 0.10 लाख अर्थात् 03 कार्यों हेतु रु0 0.30 लाख (रु0 तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किये जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2008) दिनांक 30-05-2008 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-6054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिषय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

J.E.

11

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो0नि0
कर्णप्रयागphoto copy
attested

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अयमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे जाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-579/XXV/II(2)/2018 दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-586/II(2)/18-05(एम०एल०ए०)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

अधीक्षण अभियन्ता
7 वां वृत्त लो० ति० वि०
गोपेश्वर

आज्ञा से,

(जीवम सिंह)
उप सचिव

सं० 261/41 आल-भा०५ दि० 21/01/2019
प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय एवं लोकस्वास्ति उर्ध्वमन
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
लेखाकार/कर्मचारी (पा०) कैथीयर

22/1/19

अधीक्षण अभियन्ता
7 वां वृत्त लो० ति० वि०
गोपेश्वर (photo copy attested)

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० ति० वि०
कर्णप्रयाग

शा.सं. संख्या-5861/111(2)/18-05(एमओएलओ)/2017 दिनांक 24-दिसम्बर, 2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु० में)				
क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	शा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा :- 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र धराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगंज) से विकासखण्ड धराली के रुईसोण तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	22.00 + 2No. Brid.	290.56	0.10
2	शा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा :- 411/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र धराली के विकासखण्ड घाट में सितेल-लेटाला-कनाल मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	15.00 + 2 No. Brid.	271.32	0.10
3	शा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा :- 412/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र धराली के विकासखण्ड घाट में बूरा से आला-जोखना-सितेल मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	10.00 + 01 Brid.	161.20	0.10
	योग	47.00+ 05 bridge	723.08	0.30

(कुल रु० तीस हजार मात्र)

सहायक प्रमुख

(photo copy attested)

(जीवर्न सिंह)
उप सचिव

सहायक प्रमुख
प्रान्तीय सचिव